

फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला - राजसमन्द

५४ सन् २०१६ किस्म मुकदमा ५५११/१४

रहनेवाला वल्लभ बनाम गौतमपुत्र वगैरह

आदेशिका	हस्ताक्षर/सूचना
<p>विपक्षीयता की अन्तरे से प्राप्त जवाब में अंतिम रूप से कोर्टोराते हुए विपक्षीयता से अद्विष्टता ने अपनी बहस में उठाया कि विपक्षीयता वर्तमान में खारिज हो चुका है। विपक्षीयता से रजिस्ट्रार के पूर्ण से ही उक्त प्रवृत्ति के समय से सिरसा में प्राप्त वादग्रह प्रीमोपट कार्रवाई हो गए खारिज है। खारिज है कि उक्त अस्थापी निवेदन का अनुमति पारित नहीं की जा सकती है। उपाधीन की पेशगी नो इंजिस्ट्रार से सिद्धांत से प्रतिबन्धित है। अतः उपाधीन का प्रवृत्त पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाये। एवं सप्ली इन्वायड इन्वायड २०१४ RJD ५११ RLW २०१३(१) R3, RR D-14/5/2012 पेश किए।</p> <p>बहस पट भरने बिना एवं न्यायिक इन्वायड का गठन से अन्तरेकत बिना उपाधीन विपक्षीयता वादग्रह प्री के खारिज है व सौंके पट कार्रवाई प्रथम इन्वायड भागल उपाधीन के पक्ष में नहीं करता है। सुविधा का अनुमति भी विपक्षीयता के पक्ष में है अनुमति क्षति भी विपक्षीयता की होगी। अन्तरेकत उपाधीन द्वारा उक्त उपाधीन खारिज योग्य प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपाधीन का उक्त उपाधीन अस्वीकार कर खारिज बिना जाता है। पत्रावली फिल शुभा होकर अन्तरेकत से कर दी। निवेदन कुले न्यायलय में सुनकर गया।</p>	

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला - राजसमन्द

